GOVERNMENT OF BIHAR
TOURISM DEPARTMENT
|| NOTIFICATION ||

Patna, Dated: 16 / 07 /2026

File No.: TDRT/10015/03-2025--------1508-----------/In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby frames the following rules to regulate the constitution of the **Bihar Tourism Service** under the Tourism Department, the method of recruitment thereto, and the conditions of service therein:

1. Short title, extent and commencement

(1) These rules may be called the **"Bihar Tourism Service Rules, 2026"**.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions

Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules:

(i) **"Commission"** means the Bihar Public Service Commission;

(ii)**"Appointing Authority"** means the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Tourism Department;

(iii) **"Department"** means the Tourism Department;

(iv)**"Directorate"** means the Directorate of Tourism;

(v)**"State Government"** means the Government of Bihar;

(vi)**"Departmental Promotion Committee"** means the committee constituted by the Department from time to time for departmental promotion;

(vii)**"Service"** means the Bihar Tourism Service;

(viii)**"Member"** means any official appointed to a post in the Bihar Tourism Service, including those appointed prior to the framing of these rules;

(ix)**"Cadre Controlling Authority"** means the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Tourism Department;

(x)**"Tourist Information Centers"** means the tourist information centers operated by the Directorate of Tourism within and outside of the State, as well as tourist information centers to be opened in the future from time to time for the development of tourism;

(xi) **"Appointed Date"** means the date of commencement of these rules;

3. Structure of the Cadre

(1) The structure and status of the Bihar Tourism Service shall be as follows:

Sl. No.	Designation	Hierarchy / Cadre Level	Status
1.	Assistant Tourism Officer	Basic Category Post	Non-Gazetted
2.	Tourism Officer	First Promotion Level	Gazetted
3.	Assistant Director	Second Promotion Level	Gazetted
4.	Deputy Director	Third Promotion Level	Gazetted

(2) The post strength and pay scale/pay level for the saidposts shall be as determined by the State Government from time to time.

4. Appointment to the Cadre

(1) 75% of the posts in the basic category of the cadre, i.e., Assistant Tourism Officer, shall be filled through direct recruitment based on the recommendation of the Commission.

(2) The remaining 25 percent of the posts of Assistant Tourism Officer shall be filled by promotion from among the personnel of Tourism Assistant Grade-1 (Bihar Tourism Subordinate Service Cadre) on the basis of seniority-cum-merit, upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(3) The vacancies for direct recruitment to the post of Assistant Tourism Officer shall be calculated on the basis of 1st April every year, and the requisition of category-wise vacancies in accordance with the reservation roster shall be sent to the Commission through the General Administration Department, Bihar, Patna by 30th April.

(4) The Commission, after selecting eligible candidates through a competitive examination, shall provide category-wise recommendations for appointment to the Department.

5. Qualification for Appointment

(1) The minimum educational qualification for appointment to the post of Assistant Tourism Officer shall be as follows:

Bachelor's degree with 60% marks in the Travel & Tourism faculty OR Post Graduation/MBA with 50% marks in the Travel & Tourism faculty OR Graduation (in any subject) from a recognized university along with a 1-year Diploma Course in Travel/Tourism.

(2) The minimum age limit for appointment to the cadre shall be 21 years, and the maximum age limit shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

6. Reservation

The provisions concerning the reservation roster implemented by the State Government (General Administration Department) from time to time shall also apply to this cadre.

7. Probation

(1) A Government servant appointed through direct recruitment to the basic category post in the service shall be on probation for a period of one year. If the service is not satisfactory during the probation period, it may be extended for a further 1 year by the Appointing Authority. If the service during the extended period is still not satisfactory, the service may be terminated.

(2) After the initial increment following appointment through direct recruitment or promotion, the next increment shall not be payable until the government servant has passed the Hindi Noting and Drafting Examination and the departmental examination prescribed for the cadre.

8. Confirmation (Sampushti)

The service of a personnel appointed through direct recruitment to a basic category post may be confirmed by the Appointing Authority upon completion of satisfactory service during the probation period, passing the Hindi Noting & Drafting Examination and the prescribed departmental examination, and successful completion of the prescribed training.

9. Training

(1) It shall be mandatory for personnel appointed through direct recruitment or promotion to a basic category post in the service to successfully complete the training as prescribed by the Government.

(2) Training sessions shall be organized under the training module specified from time to time by the training institute designated by the Department.

10. Departmental Examination

(1) It shall be mandatory for personnel appointed on a basic category post in the service to pass the prescribed departmental examination.

(2) The subjects/subject codes, syllabus, and procedure for the departmental examination shall be determined by the Central Examination Committee (Board of Revenue), Bihar, Patna, in consultation with the Department and with the consent of the General Administration Department.

11. Seniority

(1)The inter se seniority of personnel appointed to the service by direct recruitment shall be determined in accordance with the merit list of the Commission. The provisions regarding the determination of seniority, as prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time, shall apply to this service.

(2) The inter se seniority of personnel appointed to the service by promotion shall be determined in accordance with their seniority in their previous post.

(3) Personnel appointed by promotion in a calendar year shall be senior to those appointed by direct recruitment.

12. Promotion

(1) Promotion from a post in the basic grade to higher posts, in accordance with the service structure, may be granted on the basis of seniority-cum-merit, upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(2) The tenure and other criteria for promotion, as prescribed from time to time by the State Government (General Administration Department), shall apply to the cadre.

(3) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the department through a separate order.

13. Disciplinary Action

The provisions of the Bihar Government Servant (Classification, Control, and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall also be applicable to this cadre.

14. Power to Make Regulations

To make the provisions of these rules effective, the Department may make regulations as per the requirement.

15. Residual Matters

In respect of matters for which specific provisions have not been made in these rules, the personnel of the cadre shall be governed by the provisions made by the State Government for employees of equivalent rank.

16. Removal of Discrepancies / Difficulties

Any difficulty arising in the implementation of the provisions of these rules may be resolved by the Department in consultation with the General Administration Department or Law Department or both.

17. Interpretation

In case of any doubt regarding the interpretation of any provision of these rules, the interpretation shall be made by the Department in consultation with the General Administration Department. The decision of the Department in this regard shall be deemed final.

18. Repeal and Savings

(1) Previously issued Departmental Notification No. 45 dated 08.01.2014, and all resolutions/rules/orders, etc., issued from time to time prior to the appointed date for this cadre, are hereby be deemed repealed.

(2) Not withstanding such repeal, any work done or action taken in exercise of the powers conferred under the previously issued rules/resolutions/orders, etc., shall be deemed to have been done or taken under or in exercise of the powers conferred by these rules, as if these rules were in force on the date on which such work or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,

(Lokesh Kumar Singh)
Secretary to the Government

Memo No: TDRT/10015/03-2025- 1508 **Patna, Dated:** 16/07/2026

Copy to: Superintendent, Secretariat Press, Patna / Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna, forwarded for publication in the next issue of the Gazette along with two CD copies. Please make 500 (five hundred) copies of the printed Gazette available to the Department of Tourism, Bihar, Patna.

Secretary to the Government

Memo No: TDRT/10015/03-2025- 1508 **Patna, Dated:** 16/07/2026

Copy to: Chief Secretary / All Additional Chief Secretaries / All Principal Secretaries / All Secretaries / All Heads of Departments / All Divisional Commissioners, Bihar / All District Magistrates, Bihar / Principal Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Office In charge, Finance (P.C.F.C) Department, Bihar, Patna/ Principal, Institute of Hotel Management (IHM), Hajipur / Bodhgaya and All officers/Employees of Tourism Department/ Directorate of Tourism for information and necessary action.

Secretary to the Government

Memo No: TDRT/10015/03-2025- 1508 **Patna, Dated:** 16/07/2026

Copy to: Secretary to His Excellency the Governor / Secretary to the hon'ble Chief Minister / Secretary, Office of Lokayukat/ Secretay, Bihar Legislature Assembly/ Secretary, Bihar Legislature Council/ Secretary, Bilar Public Service Commission, Secretary, Bihar Bihar Technical Service Commission/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission and Director General, Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD) WALMI, Phulwarisharif, Patna for information and necessary action.

16/7/2026

Secretary to the Government

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

।। अधिसूचना।।

पटना, दिनांक–16/07/2026

संचिका सं०–TDRT/10015/03-2025 1508 / भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा पर्यटन विभाग के अधीन **बिहार पर्यटन सेवा** के गठन तथा इसमें नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।– (1) यह नियमावली **"बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।– इस नियमावली में जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो:–

(i) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है; अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग;

(iii) **'विभाग'** से अभिप्रेत है पर्यटन विभाग;

(iv) **'निदेशालय'** से अभिप्रेत है पर्यटन निदेशालय;

(v) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(vi) **'विभागीय प्रोन्नति समिति'** से अभिप्रेत है विभाग द्वारा समय–समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति'

(vii) **'सेवा'** से अभिप्रेत है बिहार पर्यटन सेवा;

(viii) **'सदस्य'** से अभिप्रेत है बिहार पर्यटन सेवा के पद पर नियुक्त कोई कर्मी जो इस नियमावली के गठन के पूर्व से नियुक्त कर्मी भी सम्मिलित होंगे;

(ix) **'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'** से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग;

(x) **'पर्यटक सूचना केन्द्रों'** से अभिप्रेत है, राज्य एवं राज्य के बाहर पर्यटन निदेशालय द्वारा संचालित पर्यटक सूचना केन्द्र तथा पर्यटन को विकसित करने के लिए, समय–समय पर, भविष्य में खोले जाने वाले पर्यटक सूचना केन्द्र;

(xi) **"नियत तिथि"** से अभिप्रेत है नियमावली के प्रवृत होने की तिथि;

3. संवर्ग की संरचना।— (1) बिहार पर्यटन सेवा की संरचना एवं प्रास्थिती निम्नवत् होगीः—

क्र०	पदनाम	पदसोपान	प्रास्थिती
1.	सहायक पर्यटन पदाधिकारी	मूल कोटि का पद	अराजपत्रित
2.	पर्यटन पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
3.	सहायक निदेशक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4.	उप निदेशक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

(2) उक्त पदों का पदबल/वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

4. संवर्ग में नियुक्ति ।— (1) संवर्ग की मूल कोटि के पद अर्थात सहायक पर्यटन पदाधिकारी के 75 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(2) सहायक पर्यटन पदाधिकारी के शेष 25 प्रतिशत पदों को पर्यटन सहायक ग्रेड–1 (बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग) के कर्मियों से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(3) प्रत्येक वर्ष के पहली अप्रैल के आधार पर, सहायक पर्यटन पदाधिकारी की सीधी भर्ती के पद की रिक्तियों की गणना की जायेगी और आरक्षण रोस्टर के अनुरूप आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से 30 अप्रैल तक आयोग को भेज दी जायेगी।

(4) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. नियुक्ति हेतु अर्हत्ता।— (1) सहायक पर्यटन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् होगीः—

यात्रा/पर्यटन (Travel & Tourism) संकाय में 60 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक अथवा यात्रा/पर्यटन (Travel & Tourism) संकाय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर/एम०बी०ए० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (किसी भी विषय में) के साथ 01 वर्ष का यात्रा/पर्यटन विषय में डिप्लोमा कोर्स।

(2) सेवा में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

6. आरक्षण।— राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर लागू आरक्षण रोस्टर संबंधी प्रावधान इस संवर्ग पर भी लागू होंगे।

7. परिवीक्षा।— (1) सेवा में मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने

पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इसे अगले 01 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नही रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(2) सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति से नियुक्ति के बाद आरंभिक प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नही होगी, जबतक सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं संवर्ग हेतु यथा–विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त न कर ली जाय।

8. सम्पुष्टि।– मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी की परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

9. प्रशिक्षण।– (1) सेवा में मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों को सरकार द्वारा यथा–विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना आनिवार्य होगा।

(2) विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण–सत्र आयोजित किया जायेगा।

10. विभागीय परीक्षा।– (1) सेवा में मूल कोटि के पद पर नियुक्त कर्मियों को विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आनिवार्य होगा।

(2) केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद), बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा के लिए विषय/विषय कोड, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभाग के परामर्श तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

11. वरीयता।– (1) सेवा में सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता, आयोग की मेधा सूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी। राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित वरीयता निर्धारण के प्रावधान इस सेवा में लागू होंगे।

(2) सेवा में प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता उनके पूर्व पद पर उनकी वरीयता के अनुरूप निर्धारित होगी।

(3) किसी पंचांग वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।

12. प्रोन्नति।– (1) सेवा की संरचना के अनुरूप मूल कोटि के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित कालावधि एवं अन्य मापदण्ड संवर्ग में लागू होंगे।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

13. अनुशासनिक कार्रवाई।– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली– 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान इस सेवा में भी प्रभावी होंगे।

14. विनियमावली बनाने की शक्ति।– इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

15. अवशिष्ट मामलें।– जिन मामलों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नही किया जा सका है, उन मामलों में सेवा के कर्मी राज्य सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गये प्रावधान से आच्छादित होंगे।

16. विसंगतियों/कठिनाईयों का निराकरण।– इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में आने वाले किसी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

17. निर्वचन।– इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा निर्वचन किया जा सकेगा। इस संबंध में विभाग को विनिश्चय अंतिम माना जायेगा।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (1) एतद् द्वारा पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–45 दिनांक–08.01.2014 एवं इस सेवा के लिए नियत तिथि से पूर्व समय–समय पर निर्गत सभी संकल्प/नियमावली/आदेश आदि निरसित समझे जाएँगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत नियमावली/संकल्प/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः TDRT/10015/03-2025 1508 पटना, दिनांक 16/07/2025

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० की दो प्रतियों के साथ राजपत्र के अगले गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

मुद्रित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः TDRT/10015/03-2025 1508 पटना, दिनांक 16/07/2026

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, होटल प्रबंधन संस्थान, हाजीपुर/बोधगया एवं सभी पदाधिकारी/कर्मचारी, पर्यटन विभाग/पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः TDRT/10015/03-2025 1508 पटना, दिनांक 16/07/2026

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।